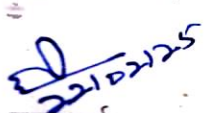


न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर0 एम0 पी0 वाद सं0-54/2011-12

(91/2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-ओटन दास एण्ड कम्पनी
आदेश

आदेश की क्र. संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर0एम0पी0 वाद सं0-91/2002 में दिनांक-30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-खपड़ाजोला के जमाबन्दी सं0-19/31, दाग सं0-174 एवं 175 अंतर्गत रकवा-01बी0-16क0-04धूर भूमि का विपक्षी ओटन दास एण्ड कम्पनी, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था0 रा0 वि0 वाद सं0-75/98-99 में दिनांक-24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी/उत्तराधिकारी उपस्थित एवं उनके द्वारा पूर्व में अपना कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। दाखिल कारणपृच्छा के अनुसार प्रश्नगत भूमि खास भूमि के रूप में खतियान में दर्ज है एवं उनके खनन पट्टा भूमि से सटे हुए उक्त भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा पाते हुए, अंचल अधिकारी, पाकुड़ की अनुशंसा पर तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पाकुड़ के द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण विपक्षी के नाम से स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर प्रश्नगत जमाबन्दी कायम की गयी। उक्त कारणपृच्छा के अतिरिक्त साक्ष्य स्वरूप आज तक किसी प्रकार का कोई कागजात/दस्तावेज इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी के कथन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण किया गया है। परन्तु प्रश्नगत भूमि सरकारी है एवं सरकारी भूमि की वैध रूप से की गयी बन्दोवस्ती के बिना लगान निर्धारण किया जाना विधि विरुद्ध है। विपक्षी प्रश्नगत भूमि के जमाबन्दी रैयत भी नहीं है। सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन एवं विपक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत सरकारी भूमि की पंजी-11 में विपक्षी के नाम सृजित जमाबन्दी अवैध रूप से सृजित की गयी है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी विपक्षी के नाम से किस वैध आधार पर सृजित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विपक्षी के नाम से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबन्दी बिल्कुल अवैध है। जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी ओटन दास एण्ड कम्पनी, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लें एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	